न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः-डॉ.रविन्द गोस्वामी.I.A.S.

प्रकरण संख्या -44 / 2024 (अपील)
जीसीएमएस न0 2024 / 137

1. संगीता राठी पत्नी राजेश राठी निवासी बी-213 तलवण्डी कोटा
2. ललिता गोयल पत्नी गोपाल गोयल निवासी 59 कृष्णा गंज करेरा शिवपुरी मध्यप्रदेश हाल निवासी 27 आर के पुरम कोटा
3. अम्बिका दुबे पत्नी ललित मोहन दुबे निवासी 734-ए आर के पुरम कोटा
4. अनिल कोठारी एचएएफ एण्ड संस कर्ता अनिल कोठारी पुत्र प्रेमचंद कोठारी निवासी 260-सी तलवण्डी कोटा

--अपीलाण्ट.

बनाम

तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

--रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामान्तरकरण सं0 300 दिनांक 28.07.2015 तहसीलदार लाडपुरा

उस्थिति

1. श्री अशोक कुमार गुप्ता, अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक- 24.09.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम हाथीखेड़ा में खाता संख्या 82 में राजेश राठी पुत्र शिवरतन राठी जाति महाजन, ललिता गोयल पत्नी गोपाल गोयल जाति वैश्य व अम्बिका दुबे पत्नी ललित मोहन दुबे का हिस्सा 64 / 97 दर्ज था जिसमें से 88 / 485 हिस्सा विमला मोदी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान करने पर नामा0 संख्या 300 दिनांक 28.7.2015 तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्वीकृत किया गया । विमला मोदी को बेचान पश्चात राजेश राठी वगै0 का हिस्सा 464 / 970 शेष रहना था किन्तु पटवारी हल्का द्वारा राजेश राठी वगै0 का हिस्सा 464 / 97 अंकित कर दिया गया है ।
2. नामान्तकरण संख्या 300 दिनांक 28.7.2015 में गलत हिस्सा दर्ज होने की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 18.7.2024 को प्रस्तुत की गई है जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई । वकील अपीलान्ट एवं पेरोकार सरकार उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी ।
3. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम हाथीखेड़ा के खसरा नम्बर 78 व 79 किता 2 रकबा 0.97 में दर्ज खातेदार राजेश राठी पुत्र जाति मुसलमान को शुद्व किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा दिनांक 24.4.2024 को आदेश दिये गये थे जिसके पश्चात पटवारी हल्का लाडपुरा पटवारी को दस्तावेज शुद्वि हेतु दिये गये तथा पटवारी द्वारा अवगत कराया कि शुद्वि पत्र दर्ज करते समय उक्त खाते में हिस्सा 1 नहीं हो पा रहा है इसके चलते एल आरसी पटवारी से दिनांक 27.5.2024 को पटवारी हल्का को दस्तावेज पुनः प्राप्त हुए तथा हिस्सा 01 ना होने से संबंध में पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक रिकार्ड जांच की गयी तथा उपरोक्त सभी नामान्तकरण का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि नामान्तरकरण संख्या 300 दिनांक 28.7.2015 से राजेश राठी पुत्र शिवरतन राठी जाति महाजन, ललित गोयल पत्नी गोपाल गोयल जाति वैश्य व अम्बिका दुबे पत्नी ललित मोहन दुबे का हिस्सा 64 / 97 दर्ज था जिसमें 88 / 485 विमला मोदी पत्नी रामनिवास मोदी को बेचान की गयी जिसके पश्चात राजेश राठी वगै0 का हिस्सा 464 / 970 शेष रहना था परंतु नामांतकरण संख्या 300 में कॉलम 7

जिला कलेक्टर
कोटा

की प्रविष्ठि में तत्कालीन पटवारी द्वारा सहवन से त्रुटि हुयी है जिसे रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है । यह बात पटवारी हल्का व रेसपोडेन्ट द्वारा स्वीकार की गयी है कि नामांतकरण संख्या 300 में राजेश राठी आत्मज शिवरतन राठी वगै0 का हिस्सा 64/97 दर्ज था जिसमें से 88/485 हिस्सा विमला मोदी को बेचान पश्चात राजेश राठी वगै0 का हिस्सा 464/970 शेष रहना था परंतु नामांतकरण संख्या 300 में कॉलम नम्बर 7 की प्रविष्ठि में तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा हिस्सा 4640 /97 अंकित किया गया जो गैर कानूनी है इसलिए उपरोक्त इंतकाल को निरस्त किया जावें तथा अपीलांट के हिस्से को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिए जावें । उपरोक्त इंतकाल संख्या 300 की जानकारी अपीलांट जब सम्बन्धित पटवारी हल्का से जून 2024 में मिले तब जानकारी हुई कि उनका हिस्सा सहवनसे कम हो गया है और आपको इतकाल की अपील करनी पडेगी तब अपीलांट ने इंतकाल संख्या 300 की प्रमाणित प्रति दिनांक 3.7.2024 को प्राप्त कर अन्दर मियाद अपील पेश की है यदि अपील पेश करने में हुई डिले सद्भाविक है जिसे कण्डोन किया जावें । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर इन्तकाल संख्या 300 दिनांक 28.7.2015 को निरस्त कर अपीलान्ट के पक्ष में राजेश राठी वगै0 का हिस्सा 464/970 शेष रहना था परन्तु नामान्तकरण संख्या 300 में कॉलम 7 की प्रविश्ठि में तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा हिस्सा 4640/97 अंकित हो रहा है । जिसे दुरूस्त किया जाकर अपीलान्ट का हिस्सा 464/970 दर्ज किया जाने का आदेश तहसीलदार लाडपुरा कोटा को फरमावें । वकील अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 23.4.2024 एवं 29.4.2024 प्रस्तुत की गई ।

4. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि सम्पूर्ण खातों एवं नामान्तरकरणों की जांच उपरान्त ही यदि हिस्सा गलत अंकित होना पाया जाता है कि दुरूस्त किया जा सकता है ।
5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील नामान्तरकरण संख्या 300 में विमला मोदी को 88/485 हिस्सा बेचान के पश्चात राजेश राठी वगै0 का शेष हिस्सा 464/970 दर्ज होने पर दिनांक 18.7.2024 को पेश की गई है ।जो विलम्ब से पेश है किन्तु अपील का निर्णय मियाद के तकनीकि बिन्दु के आधार पर करना उचित नहीं होने से तथा विलम्ब के लिए बताये गये कारणों पर न्यायहित को ध्यान में रखते हुए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।
6. अपीलांट का मुख्य तर्क है कि ग्राम हाथीखेड़ा के खसरा नम्बर 78 व 79 किता 2 रकबा 0.97 में अपीलांट राजेश वगै0 का हिस्सा 64/97 दर्ज था जिसमें से 88/485 हिस्सा विमला मोदी को बेचान पश्चात राजेश राठी वगै0 का हिस्सा 464/970 शेष रहना था परंतु नामांतकरण संख्या 300 में कॉलम नम्बर 7 की प्रविष्ठि में तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा हिस्सा 4640 /97 अंकित किया गया है जिसे दुरूस्त कराना चाहते है । पेरोकार सरकार का भी तर्क है कि सम्पूर्ण खातों एवं नामान्तरकरणों की जांच उपरान्त ही यदि हिस्सा गलत अंकित होना पाया जाता है कि दुरूस्त किया जा सकता है । अपील के साथ पूर्व के नामान्तरकरणों की प्रतिया प्रस्तुत नहीं की है, किन्तु पटवारी हल्का नयानोहरा की रिपोर्ट दिनांक 29.05.2024 के अनुसार अपीलांटगण का दर्ज हिस्सा 64/97 मे से 88 /485 विमला मोदी को बेचान पश्चात राजेश राठी वगै का हिस्सा 464/970 शेष दर्ज होना था परन्तु नामान्तकरण संख्या 300 में कॉलम 7 की प्रविष्ठि में तत्कालीन पटवारी द्वारा हिस्सा 4640/97 दर्ज कर दिया जाना माना है । ऐसी स्थिति में अपील आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को जांच कर पुनः हिस्सा दुरूस्ती की हद तक रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है ।
7. परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 300 दिनांक 28.7.2015 अपीलांटगण के जांच उपरान्त हिस्सा दुरूस्त करने की हद तक निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को आदेश दिये जाते है कि सभी नामान्तरकणों एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करते हुए यदि अपीलांटगण का हिस्सा गलत दर्ज हुआ है तो हिस्सा दुरूस्ती के आदेश पारित करें ।
8. निर्णय आज दिनांक 24.9.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलक्टर
कोटा